न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट पुरवा, उन्नाव।
UPUN120001191995

उपस्थित– हिमानी गौतम – (उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा)
फौजदारी वाद सं0–249/1995

राज्य.....अभियोजक,

बनाम

1. रामबाबू पुत्र बिन्दा प्रसाद गोसाई निवासी तकिया थाना बिहार जिला उन्नाव।
2. शिवपाल पुत्र सलोने वर्मा निवासी भईयाखेड़ा, थाना बिहार जिला उन्नाव।(दौरान विचारण मृतक)

..... अभियुक्तगण पक्ष।
धाराः– 457, 380, 411 भा०दं०सं०।
थानाः– बिहार, जिलाः– उन्नाव।

निर्णय

(1) अभियुक्तगण रामबाबू तथा शिवपाल के विरूद्ध थाना बिहार जिला उन्नाव, की पुलिस ने आरोप पत्र अ0सं0–154/1994 अन्तर्गत धारा 457, 380, 411 भा०दं०सं० के अपराध के विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया है।

(2) वादी मुकदमा की तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि ''प्रार्थी की कपड़े की दुकान पाटन में है। दिनांक 18/19–05–1994 की रात में मेरी दुकान से पीछे से सेघ लगाकर अज्ञात चोरों ने प्रार्थी की दुकान में रखा सामान चोरी कर लिया। जिसके बाबत प्रार्थी को सूचना मिली की पाटन में ही शिवपाल पुत्र रामसलोने वर्मा अपने सुहाग भण्डार की दुकान पर केवल टिकुली, सिंदूर आदि प्रसाधन की सामान ही बिकता रहा है, हमे शक है कि शिवपाल व ग्राम तकिया के रामबाबू गोसाई व भीखू, जो शिवपाल के साथ रहते हैं, का हमारे यहां की चोरी में हाथ है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखकर आवश्यक कार्यवाही करने का निवेदन किया गया है।''

(3) वादी मुकदमा की तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर सम्बन्धित थाना बिहार जिला उन्नाव में दिनांक 13/06/1994 को धारा 457,380 भा०दं०सं० के अन्तर्गत मामला दर्ज किया गया, जिसका इन्द्राज जी०डी०

में किया गया। मामले की विवेचना की गई। विवेचक ने साक्षीगण के बयान अंकित किये। मौके का नक्शा नजरी तैयार किया। बाद विवेचना अभियुक्तगण रामबाबू तथा शिवपाल के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर विवेचक द्वारा धारा 457, 380, 411 भा०दं०सं० में विचारण हेतु आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

(4) आरोप पत्र पर प्रसंज्ञान लेते हुये न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण न्यायालय हाजिर आये, उनके द्वारा अपनी–अपनी जमानतें करवायी गयी। अभियुक्तगण को नकले दी गयी।

(5) अभियुक्तगण रामबाबू तथा शिवपाल के विरूद्ध दिनांक 08/05/1997 को आरोप विरचित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने घ ाटना को गलत बताया एवं विचारण की माँग किया। दौरान विचारण अभियुक्त शिवपाल की मृत्यु हो गयी, जिसके परिणाम स्वरूप अभियुक्त शिवपाल के विरूद्ध वाद की कार्यवाही उपशमित की गयी।

(6) अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथानक को साबित करने हेतु मौखिक साक्षी के रूप में पी०डब्लू०–01 मायाराम तथा पी०डब्लू०–02 के रूप में रतीपाल को परीक्षित कराया गया है। अभिलेखीय साक्ष्य में तहरीर प्रदर्श क–1, प्रथम सूचना रिपोर्ट, नक्शानजरी तथा आरोप पत्र कायमी जी0डी0 तथा फर्द बरामदगी प्रदर्श क–2 पत्रावली पर दाखिल किया गया है।

(7) अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० लेखबद्ध किया गया, जिसमें अभियुक्त ने घटना को गलत बताया तथा प्रतिरक्षा में साक्ष्य प्रस्तुत करने से इन्कार किया है।

साक्ष्य

(8) साक्षी पी०डब्लू०–01 मायाराम ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि ''घटना सन् 1994 की है, मेरी कपड़े की दुकान पाटन में थी। मेरी दुकान से पीछे से सेघे लगाकर चोरों ने मेरी दुकान का सामान चोरी कर लिया था। पता करने पर जानकारी हुयी कति मेरी दुकान में सेघे लगाकर शिवपाल व रामबाबू ने मिलकर चोरी की है। मेरी दुकान से तीस अंगौछा, चार तौलिया, नौ सौ बनियान, पांच डिब्बे मोजे, पन्द्रह लुंगी, छः सलवार सूट, बच्चो के फ्राक, बच्चो के सूट दस, चड्डी नायलान बीस, दो पीस चड्डी

फुल साइज, छ पीस सैण्डो बनियान, तीन पीस सफेद रंग की बनियान, सिर्ल मिलाप पाँच पेटीकोट, गमछा टेरीकाट दस पीस, पट्टा चड्डी तीन दर्जन आदि सामान चोरी हुआ था। इस चोरी के संबंध में मैंने नामजद मुकदमा शिवपाल व रामबाबू के विरूद्ध पंजीकृत कराया था। तहरीर शामिल पत्रावली है, जिसकी मैं तस्दीक करता हूँ, जिसपर प्रदर्श क1 डाला गया। पुलिस ने मेरा सामान, मेरे सामने शिवपाल की दुकान से बरामद किया था। मैं मौके पर मौजूद था, मैंने अपने सामान की शिनाख्त की थी। दरोगा जी ने मेरे फर्द बरामदगी की लिखा पढ़ी कर फर्द तैयार की थी। फर्द शामिल पत्रावली है, जिसपर अपने हस्ताक्षर की तस्दीक करता हूँ, जिसपर प्रदर्श क1 डाला गया। मुझे मेरा सामान पुलिस द्वारा दे दिया गया था। घटना के बाद दरोगा जी आये थे तथा मेरा बयान लिया था।''

(9) उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि ''मैं पढ़ा लिखा हूँ। मैं प्रार्थनापत्र नहीं लिख पाता हूँ। चोरी सन् 1994 में हुयी थी। कपड़े की दुकान मैं खोले था, दुकान किराये की थी। मेरी दुकानों के आसपास भी दुकाने थी। पूरब दिशा में रामरूप की मेडिकल की दुकान थी। पश्चिम दिशा में रामविलास लोहार की दुकान थी। मेरे दुकान का निकास उत्तर दिशा में है। मेरी दुकान से मेरा घर पन्द्रह किलोमीटर दूर है। दुकान शाम सात बजे तक मैं खोलता हूँ। मुझे चोरी की घटना की तारीख मालूम नहीं है। चोरी वाली रात को मैं अपनी दुकान दिन के नौ बजे पहुँचा था। दुकान में दरवाजा लगा हुआ था। चोरी पीछे सेंघ करके हुयी थी। दुकान से जितने सामान की चोरी हुई थी, मुझे आज भी याद है। जो सामान चोरी हुई थी, उसके विषय में बता सकता हूं। सलवार सूट, फ्रॉक, लुंगी, अंगौछा 10 पीस, बनियान 800–900 पीस थी, लौलून चड्डी, पट्टा चड्डी, बच्चों के सूट, मोजे तीन डिब्बी, बड़ी चड्डी थी एक दर्जन, आदि आदि था। मेरी दुकान थाना बिहार के अंतर्गत थी। थाना बिहार चोरी की एफ०आई०आर० करने गया था। थाना बिहार मैं 11:00 बजे पहुंचा था। प्रार्थना पत्र मैंने नहीं लिखा था, किसी से लिखाया था। मेरी दुकान से थाना बिहार की दूरी 6 किलोमीटर है। थाने में एफ०आई०आर० लिखाने के बाद एफ०आई०आर० की कॉपी मुझे नहीं मिली थी। जिस दिन मैंने एफ०आई०आर० लिखायी थी, उस दिन थाना बिहार की पुलिस मेरे दुकान गई थी और थाना बिहार पुलिस द्वारा दुकान का मौका मुआयना

किया था। मैं शिवपाल को पहले से जानता हूं। शिवपाल की भी दुकान थी। शिवपाल सुहाग की दुकान खोले थे। शिवपाल की दुकान हमारी दुकान से छः दुकान की दूरी पर थी। मैंने शिवपाल को चोरी करते नहीं देखा। मैं रामबाबू अभियुक्त को पहले से नहीं जानता हूं। चोरी की घटना के पहले मेरी रामबाबू से कोई जान पहचान नहीं थी। रामबाबू कहां के रहने वाले हैं, मैं नहीं जानता। चोरी की घटना के 25 दिन बाद मैं शिवपाल की दुकान गया था, पुलिस के साथ। मेरे भांजे ने मेरी हैंडराइटिंग का लिखा हुआ समान शिवपाल की दुकान में देखा, उसके बाद मैं भी शिवपाल की दुकान गया था। शिवपाल से मैंने सामान दिखाने के लिए नहीं कहा था। मेरे भांजे ने शिवपाल की दुकान से मेरे हाथ का लिखा कोई सामान खरीदा नहीं था। भांजे के बताने के बाद मैं शिवपाल की दुकान तीन दिन बाद गया था। जब मैंने एफ०आई०आर० लिखायी थी तभी गये थे, थाना बिहार। उसके बाद जब माल पकड़ा गया तब थाना बिहार गए थे। थाना बिहार पुलिस के साथ मैं शिवपाल की दुकान 3:00 बजे पहुंचा था। जब थाना बिहार की पुलिस शिवपाल की दुकान पहुंची तब शिवपाल दुकान में थे। उस समय अन्य कोई व्यक्ति नहीं था। मैं शिवपाल की दुकान से अपना चोरी किया गया सामान निकलवा कर पहचान रहा था। पुलिस के द्वारा जो फर्द बरामदगी बनाई गई थी, उसमें अपने हस्ताक्षर बनाये थे। मेरे सामने फर्द बरामदगी पर अन्य लोगों ने हस्ताक्षर नहीं हुये थे। दरोगा जी ने मेरा बयान थाने में लिया था। जिस दिन चोरी हुई उसी दिन दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था। यह कहना गलत है कि दुकानदारी की प्रतिद्वंद्विता की वजह से झूठा मुकदमा लिखाया है।''

(10) साक्षी पी०डब्लू०–02 रतीपाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि '' घटना 1994 की है। मैं वादी मायाराम का सामान जब पुलिस द्वारा मौके पर शिवपाल की दुकान से बरामद किया जा रहा था, तब मैं मौजूद था। दरोगा जी द्वारा मेरे सामने बरामद सामान की लिखा पढ़ी कर फर्द मौके पर तैयार की गई थी, जिसपर मैंने हस्ताक्षर बनाये थे। फर्द पूर्व में प्रदर्श क2 के रूप में साबित है। घटना के बाबत दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।''

(11) उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि ''जिस समय पुलिस पहुंची थी, उस समय मैं दुकान पर था। मैं मायाराम की दुकान पर

था। मायाराम भी दुकान पर मौजूद थे। मायाराम के बगल में ही शिवपाल की दुकान है। मैं व मायाराम, शिवपाल की दुकान पर एक साथ गए थे। शिवपाल की दुकान पर पहुंचने का समय नहीं मालूम। शिवपाल की दुकान पर पुलिस घुसी थी कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। चोरी का सामान शिवपाल के दुकान से किसने निकाला था, मुझे याद नहीं है। सारा सामान मेरे सामने दुकान से निकाला गया था। सारा सामान सामने रखा था, मैंने देखा था। गमछा, बनियान आदि रेडीमेड का सामान था, संख्या मुझे याद नहीं है। मैं अभियुक्त रामबाबू को नहीं जानता हूं। फर्द बरामदगी पर मैंने अपने हस्ताक्षर बनाये थे। मैं मायाराम का रिश्तेदार हूं। मैं सम्मन से आया हूं, न्यायालय में गवाही देने। मायाराम अलग आये हैं, मैं अलग आया हूं। यह कहना गलत है कि मायाराम के कहने पर न्यायालय में गवाही देने आया हूं।''

(12) अभियोजन कथानक को साबित करने हेतु अभियोजन द्वारा उक्त दो साक्षियों को पत्रावली पर परीक्षित कराया गया है। इसके अतिरिक्त अभियोजन द्वारा कोई अन्य साक्षी पत्रावली पर परीक्षित नहीं कराया गया है।

(13) मैने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी के तर्को को सुना तथा पत्रावली का सम्यक रूप से अवलोकन किया।

निष्कर्ष

(14) वर्तमान दाण्डिक प्रकरण में न्यायालय को यह देखना है कि क्या अभियोजन अपने साक्ष्यों के मध्यम से यह साबित कर पाने में सफल रहा है कि तथाकथित दिनांक व समय व स्थान पर अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा मायाराम की दुकान में नकाब लगाकर चोरी करने की नियत से घ ुसे तथा उसकी दुकार में रखे सामान की चोरी की तथा उक्त चोरी किया हुआ सामान अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद हुआ था।

(15) बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट सोच समझ कर विलम्ब से झूठी लिखायी गयी है। इसके अतिरिक्त बरामदगी भी पुलिस द्वारा झूठी दिखायी गयी है। जिस कारण घ ाटना झूठी एवं संदेहास्पद प्रतीत हो रही है। अतः इसका लाभ अभियुक्तगण को प्रदान किया जाये। जब कि विद्वान सहायक अभियोजन

अधिकारी द्वारा तर्क दिया गया है कि घटना साक्षियों की साक्ष्य से पूर्णतः साबित है। अतः इसका लाभ अभियुक्त को न प्रदान किया जाये।

(16) उभयपक्षों के तर्कों को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया

(17) उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष की सम्पूर्ण कहानी चोरी किये जाने एवं उसकी बरामदगी पर निर्भर है। इस कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा बरामदगी अत्यन्त महात्वपूर्ण है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से विदित होता है कि घटना दिनांक 18/19–05–1994 की है तथा थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 13.06.1994 को समय 19:00 बजे दर्ज करायी गयी। इस सम्बन्ध में वादी मुकदमा मायाराम के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि '' इस चोरी के सम्बन्ध में मैने नामजद मुकदमा शिवपाल व रामबाबू के विरूद्ध पंजीकृत कराया था। तहशीर शामिल पत्रावली है। जिसकी मैं तस्दीक करता हूँ। '' इसके अतिरिकत इस साक्षी के द्वारा अपनी जिरह में कथन किया गया है कि '' मेरी दुकान से थाना बिहार 06 कि0मी0 दूर है। थाने में एफ0आई0आर0 लिखाने के बाद एफ0आई0आर0 की कॉपी मुझे नहीं मिली थी। जिस दिन एफ0आई0आर0 लिखायी थी उस दिन थाना बिहार की पुलिस मेरे दुकान गयी थी और थाना बिहार पुलिस द्वारा दुकान का मौका मुआयना किया था। ...चोरी की घटना के 25 दिन बाद मैं शिवपाल की दुकान गया था। पुलिस के साथ। मेरे भॉजे ने मेरी हैंडराइटिंग का लिखा हुआ सामान शिवपाल की दुकान में देखा था। उसके बाद मैं शिवपाल की दुकान गया था। .... भॉजे के बताने के बाद मैं शिवपाल की दुकान तीन तदन बाद गया था। जब मैने एफ0आई0आर0 लिखायी थी तभी गये थे, थाना बिहार। उसके बाद जब माल पकड़ा गया तब थाना बिहार गये थे।'' इस प्रकार उपरोक्त साक्षी के बयान से यह स्पष्ट होता है कि उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट जब उसको अपने हैण्डराइटिंग से लिखा हुआ सामान शिवपाल की दुकान में होने का पता लगा तो उसने प्रथम सूचना तब लिखवायी। चूँकि प्रकरण चोरी की घटना से सम्बन्धित है। ऐसे में सामान्य परिस्थितियों में चोरी की घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट तुरन्त लिखाये जाने आवश्यक है, परन्तु वादी मुकदमा के द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। वादी मुकदमा के द्वारा थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के लगभग 25 दिन बाद विलम्ब से अभियुक्तगण के

नाम दर्ज करायी गयी है तथा उसके द्वारा अपनी साक्ष्य में विलम्ब का कारण भी दर्शित नहीं किया गया है। ऐसी परिस्थिति में प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज कराया जाना अभियोजन कथानक को संदिग्ध बनाता है।

(18) इसके अतिरिक्त जहॉ तक फर्द बरामदगी का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि फर्द बरामदगी को साबित करने हेतु अभियोजन की ओर से स्वतंत्र साक्षी के रूप में रतीपाल को परीक्षित कराया गया है तथा वादी मुकदमा स्वयं भी परीक्षित हुआ है। जिसके द्वारा फर्द बरामदगी को प्रदर्श क–2 के रूप में साबित किया गया है, परन्तु यह उल्लेखनीय है कि जो भी चोरी का माल बरामद हुआ है उसे अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त यह अत्यन्त महत्पूर्ण तथ्य है कि पुलिस द्वारा लिखी गयी फर्द बरामदगी के अनुसार दिनांक 14.06.2026 को एस0आई0 एम0एन दुबे को जरिये मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली थी कि '' अभियुक्त शिवपाल वर्मा अभी अभी अपनी पाटन स्थित विशात खाने की दुकान पर आया है। दुकान में श्री मायाराम की दुकान से चोरी गया सामान रखा है। सामान को अभियुक्त शिवपाल वर्मा दुकान से हटा सकता है। जल्दी किया जाये तो माल की बरामदगी हो सकती है। इस पर सूचना पर विश्वास करके एस0आई0 उपरोक्त मय आवश्यक पुलिस बल के साथ मायाराम उपराक्त व अन्य गवाहान श्री अरूण कुमार साहू व श्री रतीपाल को बस स्टेशन पाटन से ही हमराह लेकर अभियुक्त शिपवपाल वर्मा की केराना की दुकान पर आया। '' इस प्रकार पुलिस को चोरी के सामान शिवपाल की दुकान में रखे होनी की जानकारी मुखबिर खास के द्वारा बतायी गयी है। जब कि वादी मुकदमा मायाराम के द्वारा स्वयं अपनी तहरीर में अपनी चोरी का सामान शिवपाल की दुकान में छिपा रखा होना उल्लेखित किया गया है। इस प्रकार अभियोजन कथानक में बरामदगी के सम्बन्ध में किया गया कथन स्वयं में विरोधाभाषी एवं बनावटी प्रतीत होता है।

(19) चूॅकि प्रस्तुत प्रकरण में वादी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के 25 दिन बाद विलम्ब से लिखायी गयी है तथा फर्द बरादमगी में उल्लेखित तथ्य वादी मुकदमा की तहरीर से भी मेल नहीं खाते हैं तथा बरामद शुदा माल को न्यायालय के समक्ष भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(20) जहॉ तक घटना में वादी मुकदमा की दुकान के पीछे सेंध लगाकर

चोरी किये जाने का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में अभियोजन द्वारा पत्रावली पर कोई भी ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं सका है। जिनेसे अभियुक्तगण को वादी मुकदमा की दुकान की सेंध करते हुए तथा चोरी का सामान ले जाते हुए देखा हो।

(21) अतः उपरोक्त विवेचना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय व मौखिक साक्ष्य के परिशीलनोपरान्त न्यायालय के विचार से अभियोजन पक्ष अभियुक्त रामबाबू के विरूद्ध धारा 457,380,411 भा0दं0सं0 के तहत लगाये गये आरोपों को युक्ति–युक्त रूप से संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अभियुक्त रामबाबू के विरूद्ध लगाया गया आरोप साबित नहीं होता है। अतः अभियुक्त रामबाबू को संदेह का लाभ देते हुए, आरोपित अपराध के आरोप से दोष–मुक्त किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

(22) फौजदारी वाद सं0–249/1995, मु0अ0सं0–154/1994, थाना बिहार, जिला उन्नाव के प्रकरण में अभियुक्त रामबाबू को अन्तर्गत धारा 457,380,411 भा0दं0सं0 के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है, उसके जमानतनामें निरस्त किये जाते हैं, एवं प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

(23) अभियुक्त द्वारा धारा 437ए दं0प्र0सं0 का अनुपालन किया गया है।

दिनांक– 04.07.2026

(हिमानी गौतम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पुरवा,उन्नाव।
आई.डी.–UP4850

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षंरित, दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक– 04.07.2026

(हिमानी गौतम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पुरवा,उन्नाव।
आई.डी.–UP4850